उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2015/13(2)2015/का-1-2015
लखनऊ :: दिनांक 12 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

वित्त विभाग द्वारा अध्यारोही प्रभाव की उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014, दिनांक 22.09.2014 को अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली में प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4600/-), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4800/-) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, रूपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 5400/-) के पद भी सम्मिलित हैं।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4600/-), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4800/-) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, रूपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 5400/-) के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2015/13(2)2015(1)/का-1-2015, तद्दिनांक
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव।
7. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
योगेश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।